**ELECTION URGENT**
**CAMP BAG**
**On Website**

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110001

No. 576/3/2015/SDR-Vol.I 53 Dated: 18th September 2015

To,

The Chief Secretary to the Govt. of Bihar.

Sub: General Election to the State Legislative Assembly of Bihar- Protection of voting rights of electors subjected to Preventive Detention - regarding.

Sir,

You are aware that the Commission has announced, on 9th September, 2015, the programme of General election to the State Legislative Assembly of Bihar. The detailed programme is hosted on the Commission's website under the path http://eci.nic.in/eci_main1/current/PN53_09092015.pdf . In this connection, your attention is invited to the following provisions of law relating to voting rights of electors subjected to preventive detention.

(i) Proviso to sub-Section (5) of Section 62 of the Representation of the People Act, 1951 confers voting rights on the electors subjected to preventive detention. As per Rule 18 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the electors under preventive detention are entitled to cast their votes by post.

(ii) Rule 21(1) of the Conduct of Elections Rules, 1961, provides that the appropriate Government shall intimate to the Returning Officers, the names of the electors, if any, subjected to preventive detention together with their address, electoral roll numbers and places of detention, within fifteen days of calling an election. This will enable the Returning Officers to send postal ballot papers to such electors to facilitate them to exercise their franchise at the election.

2. It is requested that instructions may kindly be issued to the concerned authorities to ensure that the provisions of Rule 21(1) of the Conduct of Elections Rules, 1961, mentioned above, are strictly complied with at the current general election and there is no ground for any grievance on account of non-compliance of the provisions of the said Rule.

3. Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(ANUJ JAIPURIAR)
SECRETARY

**Copy to**: - The Chief Electoral Officer of Bihar, Patna; if any list of electors on preventive detention is received in the office of Chief Electoral Officer, the same may be communicated to the Returning Officers concerned without delay.

---

**बिहार सरकार**
***मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग***

ज्ञापांक :- 5/मं०स०ज०शि० (भा०स०) 08/2015 .......562........ पटना-15, दिनांक 16/10/ 2015

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/15

(डा० राजीव कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
बिहार, पटना।

(57)

निर्वाचन तत्काल
कैम्प बैग
वेबसाईट पर

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001

मि.सं.576/3/2015/एसडीआर-खण्ड-। दिनांक-18 सितम्बर,2015

सेवा में,

बिहार सरकार के
मुख्य सचिव

विषय –बिहार राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2015-निवारक निरोध में रखे गए निर्वाचकों के मताधिकारों का संरक्षण-तत्संबंधी ।

महोदय,

आप अवगत हैं कि आयोग ने 9 सितम्बर, 2015 को बिहार की राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर http://eci.nic.in/eci_main1/current/PN53_09092015.pdf के अन्तर्गत दिया गया है। इस संबंध में, निवारक निरोध में रखे गए निर्वाचकों के मताधिकारों से संबंधित विधि के निम्नलिखित उपबंधों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 की उप-धारा (5) के परंतुक में निवारक निरोध में रखे गए निर्वाचकों को मत का अधिकार दिया गया है। निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 18 के अनुसार निवारक निरोध में रखे गए निर्वाचकों को डाक द्वारा अपने मत डालने का अधिकार प्राप्त है।

(ii) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 21(1) में यह उपबंध किया गया है कि उपयुक्त सरकार निवारक के अधीन रखे गए निर्वाचकों, यदि कोई हों, के नाम उनके पते, निर्वाचक नामावली संख्याओं एवं निरोध के स्थानों के ब्यौरे निर्वाचन की अपेक्षा किए जाने के पन्द्रह दिनों के भीतर रिटर्निंग ऑफिसरों को उपलब्ध कराएगी। इससे रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे निर्वाचकों को डाक मत पत्र भेजने में सक्षम हो पांएगें ताकि वे निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

2. अनुरोध है कि संबंधित प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश दिए जाएं कि ऊपर उल्लिखित निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 21(1) के उपबंधों क वर्तमान साधारण निर्वाचनों के दौरान कड़ाई से अनुपालन किया जाए और उक्त नियम के उपबंधों का अनुपालन न करने के संबंध में शिकायत का कोई आधार नहीं मिले। यदि संबंधित प्राधिकारी, जिसके अंतर्गत कोई निर्वाचक, निवारक निरोध में हो और संबंधित संसदीय या विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के पते से अवगत नहीं हो तो वे संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को विवरण भेज सकते हैं।

3. कृपया पावती दें।

भवदीय,

अनुज जयपुरियार

(अनुज जयपुरियार)

सचिव

प्रति प्रेषित-

बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी , बिहार, पटना। यदि निवारक निरोध में रखे गए निर्वाचकों की कोई सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त होती है तो उसके बारे में संबंधित रिटर्निंग ऑफिसरों को अविलंब अवगत कराया जाए।